दिनांकः 07-06-2024 को थाना रायपुर पुलिस ने बुजुर्ग महिला से हुई चेन लूट की घटना को अजांम देने वाले अभियुक्त को गाँधीपार्क से किया गिरफ्तार

दिनांक 25-05-2024 को वादिनी श्रीमती कुसुम लता देवी पत्नी भारत प्रकाश डंगवाल, निवासी लाइन नंबर 3 सुमन कॉलोनी आनन्द नगर बालावाला रायपुर देहरादून द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया कि वह परिजनो से मिलकर लैण्डसडाउन चौक से बुद्धा चौक तक पैदल आई तथा बुद्धा चौक बस स्टाँप पर रूकने के बाद सिटी बस में बैठकर बालावाला पहुँची थी जहाँ पहुँचकर कुछ दूर पैदल चलने पर उसके साथ उनके गले से चेन पीछे से पैदल चलते अज्ञात व्यक्ति द्वारा लूट ली गई, प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रायपुर पर तत्काल मु0अ0सं0-222/2024, धारा 392 आईपीसी में अभियोग पंजीकृत किया गया।

घटना के अनावरण एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी तथा माल बरामदगी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा टीम गठित कर आवश्यक निर्देश दिए गए। गठित टीमों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण के दौरान वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरे न लगे होने पाये गये, जिस पर महिला जिस सिटी बस में बैठकर बालावाला पहुंची थी, उसके परिचालक से बस के चलने के समय की जानकारी प्राप्त कर बुद्धा चौक, लैण्डसडाउन चौक के आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरो को चैक किया गया, जिसमें महिला के पीछे-पीछे एक व्यक्ति बुद्धा चौक तक आता दिखाई दिया तथा महिला के साथ ही सिटी बस में चढता दिखाई दिया। संदिग्धता प्रतीत होने पर सीसीटीवी से प्राप्त फुटेज को महिला को दिखाने पर उनके द्वारा उक्त व्यक्ति की पहचान घटना में सम्मिलित्त व्यक्ति से की गई, जिस पर पुलिस टीम द्वारा अन्य सीसीटीवी फुटेज को भी चैक किया गया, जिससे जानकारी हुई कि उक्त व्यक्ति गाँधी पार्क स्कूटी में आता रहता है, जिस पर गांधी पार्क पर एक पुलिस टीम को नियुक्त किया गया तथा दिनांक 06.06.2024 को उक्त व्यक्ति के पुनः गाँधी पार्क मे स्कूटी से पहुंचने पर पुलिस टीम द्वारा चैन लूट की घटना को अजांम देने वाले अभियुक्त संजय राय को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया कि उसके द्वारा लूटी चेन को मुथुट फाईनेन्स कोटद्वार में जमा कर 47,000/- रूपये का लोन लेना लिया है और मुथुट फाईनेन्स के गोल्ड लोन के दस्तावेज दिखाये गये। अभियुक्त को आज दिनांक 07.06.2024 को मुथुट फाईनेन्स कोटद्वार पौडी गढवाल ले जा गया तथा लूट की चेन बरामद की गई। अभियुक्त को माननीय न्यायालय पेश किया गया जहाँ से माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।

पूछताछ का विवरणः-

पूछताछ में अभियुक्त संजय राय द्धारा बताया कि वह शेयर मार्केट का कार्य करता है और वह चण्डीगढ से दो माह पूर्व देहरादून आकर अजबपुर कला में किराये के मकान में बच्चों सहित रहता है। मुथुट फाईनेन्स लिमिटेड कम्पनी से उस पर दो तीन लाख रूपये का कर्ज है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही थी और रोज अपनी पत्नी को काम पर जाने का बहाना बताकार वह गांधी पार्क आ जाता था तथा कर्ज व पैसो की तंगी से परेशान होकर अभियुक्त ने महिला से चैन लूट की घटना को अजाम दिया तथा लूटी गई चैन को मुथुट फाईनेंस में जमा कर 47 हजार रू0 का लोन ले लिया और अपने कुछ कर्जों को चुकाया।

नाम/पता अभियुक्त

संजय राय पुत्र श्री चंद्रपाल सिंह राय निवासी घमण्डपुर पोस्ट ऑफिस निम्बूचौड कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल हाल बैंक कॉलोनी अजबपुर कला थाना नेहरू कॉलोनी देहरादून उम्र 33 वर्ष

बरामदगी का विवरण

ज्वैलरी (01 चैन)

पुलिस टीम

1- उ0नि0 कुन्दन राम, थानाध्यक्ष रायपुर
2- व0उ0नि0 गुमान सिंह नेगी
3- उ0नि0 कमलेश प्रसाद गौड
4- उ0नि0 संजय रावत
5- हे0का0 दीप प्रकाश
6- का0 सौरभ वालिया
7- का0 किशनपाल
8- का0 शिवराज
9- का0 राजेश
10- का0 राँबिन
11- का0 रविंद्र थाना डोईवाला
12- का0 किरण एसओजी